कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 274 /आउशि/नि.का/08 भोपाल, दिनांक 18/09/08

प्रति,

1. **अतिरिक्त संचालक,**
   समस्त मध्यप्रदेश।
2. **कुल सचिव,**
   समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. **प्राचार्य,**
   समस्त महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः– सेमेस्टर पद्धती के अंतर्गत परीक्षाएं आयोजित कराने के संबंध में।

–:0:–

सेमेस्टर पद्धती के अतंर्गत समय पर परीक्षाएं आयोजित करने के लिए महामहिम कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित अकादमिक कैलेण्डर में प्रावधान किया गया है, किन्तु इसके बाद भी कतिपय विश्वविद्यालयों के द्वारा महामहिम कुलाधिपति से अनुमोदित अकादमिक कैलेण्डर का पालन न कर मनमाने ढ़ंग से परीक्षाएं आयोजित करने की सूचना इस कार्यालय को भेजी है।

सेमेस्टर पद्धती लागू करने का एक मात्र उद्देश्य प्रदेश के शिक्षण स्तर में उन्नयन एवं समानता लाना था, ताकि पृथक–पृथक विश्वविद्यालय अपने स्तर से पाठ्यक्रम पूरा होने के 03–04 वर्ष तक परीक्षाएं आयोजित न करें।

कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपका परीक्षा कार्यक्रम महामहिम कुलाधिपति महोदय के द्वारा अनुमोदित तिथियों के माध्य ही सम्पन्न कराये जायेंगे, अन्यथा इस संबंध में विश्वविद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए महागहिम को प्रमाण सहित पत्र भेजा जायेगा।

अतः ऐसी स्थिति निर्मित न हो इसके लिए आवश्यक है कि समस्त विश्वविद्यालयों में एक साथ कैलेण्डर के अनुरूप परीक्षाएं सम्पन्न होकर परीक्षाफल जारी किया जा सके, जिससे आगामी सेमेस्टर पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

Ashish
18.9.2008
(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक 275 /आउशि/नि.का/08 भोपाल, दिनांक 18/09/08

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, मध्यप्रदेश।

Ashish
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश